पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.44/2011 प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं.ई पी/1025/17 दि. 02-05-2011

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इन चार्ज.
प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.
प्रतिः महामंत्री- ऑल इंडिया अ.जा./अ.ज.जा.रेल कर्म.. एसो. 'वेस्ट' जोन,मुंबई .
प्रतिः महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल कर्मचारी.एसोसिएशन , मुंबई.

विषय : विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प

*******

रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 10.03.2011 के पत्र सं.हिंदी 2010/रा.भा. 1/10/4 की प्रति आपकी सूचना, मार्गदर्शन व आवश्यक कार्यवाही हेतु इसके साथ संलग्न की जाती है ।

उसमें उल्लिखित रेलवे बोर्ड का दिनांक 03.11.1988 का पत्र सं.हिन्दी-87/रा.भा. 1/10/3 इस कार्यालय के दिनांक 28.11.88 /04.01.89 के पत्र सं.ईपी 1025/17 (पी एस सं.287/88) के अंतर्गत परिपत्रित किया गया है । जिसकी प्रति फिर से तत्काल संदर्भ के लियं भेजी जाती है ।

संलग्न : यथोक्त

( एस कडेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को तथा अन्यों को संबोधित रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 10.03.2011 के पत्र सं.हिंदी 2010/रा.भा. 1/10/4 की प्रतिलिपी ।

विषय : विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा रेल कार्यालयों के हाल ही में किए गए निरीक्षणों के दौरान यह बात सामने आयी है कि रेल कार्यालयों में विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प देने संबंधी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप राजभाषा नीति का उल्लंघन हो रहा है ।

अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के 3.11.1988 के पत्र सं.हिंदी-87/रा.भा.I/10/3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें. तत्काल संदर्भ के लिए आदेशों की प्रति संलग्न कीजा रही है ।

संलग्नक : यथोक्त

---

रेलवे बोर्ड के दिनांक 03.11.1988 का पत्र सं.हिंन्दी-87/रा.भा.1/10/3 की प्रतिलिपि ।

विषय : विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प

विभागीय परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के विकल्प के संबंध में समय-समय पर जारी बोर्ड के विभिन्न आदेशों को समेकित करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि सभी विभागीय परीक्षाओं में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखाजाए -

1. "क", "ख" और "ग" सभी क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली सभी अर्हक और प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिनमें तकनीकी और गैर तकनीकी सभी विभागीय परीक्षाएं शामिल हैं, हिंदी माध्यम से उत्तर लिखने की छूट दी जाए, भले ही संबंधित नियम पुस्तकों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध है अथवा नहीं. इन परीक्षाओं के लिए आवेदन मांगे जाते समय ही अर्थात प्रारंभ में ही उम्मीदवारों को लिखित रूप में यह स्पष्ट किया जाए कि संदर्भाधीन परीक्षा में हिंदी माध्यम की छूट दी जाएगी. तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में अंग्रे ाी ज्ञान की परख, जहां आवश्यक हो, अलग से कीजा सकती है.

2. तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी पदों के लिए ली जाने वाली अर्हक और प्रतियोगी विभागीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को केवल सामान्य अंग्रेजी का पर्चा छोडकर अन्य सभी प र्ों के उत्तर हिंदी में देने की छूट होगी. उम्मीदवारों को ऐसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में भी करने की अनुमति दी जाए, ि जनके हिंदी पर्याय उन्हें मालूम न हों. इसी प्रकार ाहां जरूरी हो, वहां व तकनीकी पुस्तकों आदि से उध्दरण अंग्रेजी में दे सकते हैं.

3. तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही तैयार किएजाएं . प्रत्येक प्रश्न पत्र में हिंदी माध्यम की छूट दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख हो.

4. विभागीय चयन के संबंध में ली जाने वाली मौखिक परीक्षा एवं साक्षात्कार में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए. इस आशय की जानकारी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे जाने वाले नोटिस (पत्र) में लिखित रूप से अवश्य दी जाए. यह छूट प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत ली जाने वाली मौखिक परीक्षाओं पर भी लागू होती है.

5. चूंकि रेलों पर हिंदी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों का कैडर तथा पदोन्नति सरणि एक ही है, अतः जहां स्टेनों ग्रेड "सी" के कुछ पदों को विभागीय स्टेनों "डी" के कर्मचारियों की पदोन्नति से भरा जाना अपेक्षित हो, वहां स्टेनों "सी" की सभी विभागीय परीक्षाओं में ग्रेड "डी" के उम्मीदवारों को हिंदी अथवा अंग्रेजी आशुलिपि में परीक्षा देने की छूट दी जाए, ताकि हिंदी स्टेनो ग्रेड "डी" के कर्मचारी भी पदोन्नति पा सकें. इस प्रयोजन के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" के वर्तमान कुछ पदों को हिंदी के काम के लिए हिंदी स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" के रूप में अलग से निर्धारित कर दिया जाए और ग्रेड "सी" के इन हिंदी स्टेनोग्राफरों को हिंदी जानने वाले अथवा हिंदी में काम करने के इच्छुक अधिकारियों के साथ नियुक्त किया जा सकता है.

6. ग्रुप "सी" के पदों के बी । तथा ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" के पदों पर पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में और ग्रुप "बी" के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिनमें तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी परीक्षाएं शामिल हैं, राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएं. इस प्रयोजन के लिए कर्म ारियों की व्यावसायिक योग्यता की जांच के लिए निर्धारित कुल अंकों में से 10% अंक राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों से संबंधित प्रश्नों के लिए निर्धारित कर दिए जाएं. राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित सभी प्रश्न मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा अथवा उनके परामर्श से तैयार किए जाएं.

7. चौथी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में साधारणतया अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान परखने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे मामलों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान ही पर्याप्त समझा जाए.

8. सभी विभागीय परीक्षाओं के परिणाम हिंदी-अंग्रे ाी द्विभाषिक रूप में प्रदर्शित / प्रकाशित किए जाएं .

9. क्षेत्रीय एवं तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों के पाठयक्रमों में राजभाषा विषय सम्मिलित किया ाये, ि सके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को यथा संशोधित रा ाभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और रा ाभाषा (संघ के शासकीय प्रयो ानों के लिए प्रयोग) नियम 1976 की ानकारी करायी जाए, प्रशिक्षण के पश्चात ली जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी अनिवार्यतः हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में छपवाए जाएं इन परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने के अलावा, अन्य प्रश्नों के साथ-साथ 15 अंकों का एक प्रश्न राजभाषा अधिनियम और नियमों से संबंधित भी पूछा जाए, जिसका उत्तर देना अनिवार्य हो.

10. उपर्युक्त आदेश सहायक लेखा अधिकारी, क्लर्क ग्रेड-I, आदि परीक्षाओं के अलावा सभी प्रकार की विभागीय परीक्षाओं पर लागू होते हैं, चाहे वे परीक्षाएं श्रेणी-3 के पदों को भरने के लिए ली गयी हों अथवा श्रेणी-2 के पदों को भरने के लिए,

11. प्रत्येक प्रवरण बोर्ड में कम से कम एक अधिकारी ऐसा रखा जाए, जिसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हो,

12. किसी भी विभागीय परीक्षा में, ाहे वह तकनीकी हो अथवा गैर तकनीकी, यदि प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में तैयार नहीं किया जाता अथवा हिंदी माध्यम का विकल्प नहीं दिया जाता तो उस परीक्षा को नियम विरूद्ध माना जाएगा और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द भी किया जा सकेगा .

13. इसे स्थापना के परामर्श से जारी किया जा रहा है .

*******

**Copy of Ministry of Railways (Railway Board)'s letter No.Hindi-87/OL-I/10/3 dated 03.11.88.**

Sub: Option of Hindi medium in Departmental Examinations.

---

While consolidating various instructions issued by the Board from time to time regarding option of Hindi medium in departmental examinations, it has been decided that the special care should be taken of the following measures in all the departmental examinations :-

1. Option of Hindi medium should be allowed in all the qualifying and competitive departmental tests, which include technical & non-technical departmental examinations also, conducted by the railway offices located in all the regions 'A', 'B', and 'C' irrespective of the fact whether translation of concerned rule books is available or not. It should invariably be made clear to the candidates in the beginning itself i.e. while calling for applications for these examinations that the option of Hindi medium would be allowed in the said examination. However, in departmental examinations conducted for technical posts, the knowledge of English. Wherever necessary, could be ascertained.

2. In the qualifying and competitive departmental tests conducted for technical and non-technical posts, candidates will have option to write answers to all the question papers, except the General English paper, in Hindi. Candidates should also be allowed to use such technical words in English whose equivalents are not known to them. Similarly, they are also allowed to give extracts in English from technical books, wherever necessary.

3. Question papers of all the departmental tests, whether technical or non-technical, should invariably be prepared in bilingual form. Each question paper should contain the clear mention about the option of Hindi Medium.

4. Option of Hindi medium should also be allowed to the candidates in oral tests and viva-voce conducted for departmental selections. The information regarding such an option should be given in writing through notices issued in this regard. This option is also applicable to oral tests conducted by the training institutes after the completion of training.

5. Since on the railways, cadre and channel of promotions for Hindi and English Stenographers is the same, therefore, where some posts of steno 'C' are to be filled up by departmental promotion from amongst steno grade 'D' employees, Option of Hindi or English stenography should be given to grade 'D' stenos in all steno grade 'C' selections, so that Hindi steno grade 'D' could also get promotions and for this purpose requisite posts of steno 'C' should be earmarked as Hindi steno grade 'C' such Hindi steno grade 'C' could be posted with Hindi knowing officers or with those who are desirous of doing their work in Hindi.

6. Questions regarding Official Language Policy and Rules should also be set up in departmental tests, which includes technical and non-technical examinations also, conducted for group 'C' posts, for promotion from group 'C' to group 'B' posts and in limited departmental competitive tests conducted for filling up the vacancies in group 'B'. In order to judge the professional ability of the employees for this purpose, 10% marks out of total prescribed marks should be prescribed for Official Language Policy and Rules and these questions should be set up in consultation with the Mukhya Rajbhasha Adhikari.

7. Normally, there is no need to judge the working knowledge of English in such departmental tests conducted for promotion from Class IV to Class III. In such cases, only working knowledge of Hindi should be considered sufficient.

8. The results of all departmental tests should be displayed/ published in Hindi – English bilingual form.

9. A subject on 'RAJBHASHA' should be included in the syllabus of all Zonal and Technical Training Institutes, under which trainees should be apprised of various provisions of Official Language Amendment Act and Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976. Question papers should invariably be set up in Hindi-English bilingual form in the tests conducted after the completion of training. In addition to allowing option of Hindi medium in these examinations, one compulsory question of 15 marks should be set up, alongwith other questions, about the Official Language Act and Rules.

10. The above orders are applicable to all types of departmental tests including Assistant Accounts Officer, Clerk Grade-I etc., whether these tests are conducted to fill up Class III posts or Class-II posts.

11. In every selection Board, one of the Officers should have working knowledge of Hindi.

12. In case, option of Hindi medium is not allowed or question papers are not made bilingual in any departmental test, whether technical or non-technical, such an examination will be treated against the rules and could be cancelled by the competent authority.

13. This is being issued in consultation with the Establishment Directorate.

**********